न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2013 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री कमलेश पिता पेमाजी कुम्हार निवासी खटुकड़ा तहसील रेमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गोकल पिता नौला जी गाडरी निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री हरीराम उर्फ हरा पिता श्री नौला जी निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री नानालाल पिता पेमा जी कुम्हार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमती बबली उर्फ बाली विधवा श्री पेमा जी कुम्हार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती निर्मला कुंवर पत्नी श्री श्री मोहनसिंह जी निवासी तितरड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखड अधिकारी) रेलमगरा दि0 22–11–2012
प्रकरण संख्या 402/2010 वाद

———

उपस्थित :–1–श्री धनसिंह सिसोदिया अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट संख्या 3, 4
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

———/———

निर्णय **दिनांक 23–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2 वादीगण द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के

विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का एक वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खटुकड़ा तहसील रेलमगरा की वर्तमान आराजी नंबर 2112/1813 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1/2मीन/980 रकबा 5 बीघा है। यह भूमि वादीगण को आवंटन की जाकर 30–3–1967 को वादीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। वादीगण खातेदार होकर काबिज है। आराजी नंबर 1/2 मीन/987 रकबा 7 बीघा भूमि पेमा पिता पीथा कुम्हार को आवंटित होकर नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 30–3–1967 से दर्ज हुई तथा इस आराजी के वर्तमान नंबर 2113/1813 दर्ज हुए। पैमाईश बाद वर्तमान आराजी नंबर 2112/1813 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी एवं 2113/1813 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पेमा के नाम अंकित होनी चाहिये थी, परन्तु सहवन से जमीन अकेले पीथा के नाम अंकित हो गई जो त्रुटिपूर्ण है। पेमा ने उक्त जमीनें शंकरलाल, मांगीलाल को बेच दी व उन्हीं के नाम पर दर्ज है। निवेदन किया कि वादी को आराजी नंबर 2112/1813 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 व 3 की और से खण्डन का जवाबदावा पेश किया। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 का नाम आदेश–1, नियम–10 के तहत संयोजित किया गया। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. **आया ग्राम खटुकड़ा की आराजी संख्या 2112/1813 रकबा सवा छः बीघा साबिक आराजी नंबर 1/2 मीन बट्टा 980 क्षैत्रफल 5 बिस्वा थे।**
2. **आया वादग्रस्त आराजी वादीगण को आवंटित हुई व नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ।**
3. **आया वादग्रस्त आराजी 2112/1813 क्षैत्रफल 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी हक से घोषणा कराने का अधिकारी है।**
4. **आया वाद ग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 व उनके पूर्वजों का प्रतिकूल कब्जा होने से वादीगण के खातेदारी हक एक्सा डीकरी होकर वाद निरस्त होने योग्य है।**
5. **आया वादीगण का वाद मयाद अवधि के बाधित होने से निरस्त होने योग्य है।**

6. आया प्रतिवादी निमला को क्रय सुाा विक्रय पत्र सिविल न्यायालय के निरस्त नहीं करा दिया जाता है तब तक वादीगण का वाद निरस्त होने योग्य है।

7. अनुतोष

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–11–2012 को उभयपक्ष की उपलब्ध साक्ष्य सबूत का विवेचन करते हुए अपने निर्णय से वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 4–3–2015 को दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश की। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2 की और से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 की और से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल ने उपस्थित होकर अनापत्ति व्यक्त की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के वरूद्ध अपीलान्ट के आवेदन पर कार्यवाही दिनांक 29–11–17 को ड्रोप की की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–56 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष के बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट के अवयस्क होने के तथा उसके कोटवली नियुक्त किये जाने के आवेदन लम्बित होने के बावजूद प्रकीरण में तनकियात निश्चित होने के बावजूद तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश–14, नियम–2 तथा आदेश–20, नियम–5 के आज्ञापक प्रावधान की प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित होना चाहिए। इसके विरूद्ध अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर निबन्धात्मक रूप से निर्णय/फाईण्डिग दी है, जो प्रथम दृष्टया विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थि होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री ओमप्रकाश पिता चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–5	बनाम	**1– श्री चम्पालाल पिता कजोड़ीमल जी ब्राह्मण (नाम तर्क किया)** **2– श्री अश्विनी पिता चंपालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य–8 व सरकार**

अपील नं0 **53/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **राजसमन्द.....** मुकाम मुक्र्खे.....**08**.....माह.....**07**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**01**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री श्यामसुन्दर पालीवाल.....** मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मुकेश तलेसरा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–7–2016 को यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।